संख्याः 1254/नौ-4-10-2नियम/05

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0,लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 22 अप्रैल, 2010

विषयः वेतन समिति (2008) के आठवें प्रतिवेदन में प्रदेश के उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा के कर एवं राजस्व निरीक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति के संबंध में की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा संवर्ग के विभिन्न श्रेणी के पदों के पदनाम, वेतनमान तथा संवर्गीय ढाँचा निम्नानुसार इस प्रतिबन्ध के अधीन पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इस पुनर्गठन एवं वेतनमान संशोधन से आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे एवं इस हेतु शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी :-

1- नगर निगम, नगर पालिका श्रेणी-1/2/3 में विद्यमान कर एवं राजस्व निरीक्षक श्रेणी-1/2/3 वेतनमान रू0 3200-4900, कर अधीक्षक, नगर पालिका श्रेणी-3 वेतनमान रू0 3200-4900 तथा कर अधीक्षक, नगर पालिका श्रेणी-2 वेतनमान रू0 4000-6000 के कुल 519 पदों को संविलीन कर राजस्व निरीक्षक पदनामित करते हुए रू0 4500-7000 के वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 अनुमन्य कराया जायेगा।

2- नगर निगम एवं नगर पालिका श्रेणी-1 में विद्यमान सहायक कर अधीक्षक वेतनमान रू0 4000-6000/ रू0 4500-7000 एवं अधीक्षक वेतनमान रू0 4500-7250/ रू0 5000-8000 के कुल 168 पदों को संविलीन कर अधीक्षक पदनामित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य कराया जायेगा।

3- निकायों में विद्यमान कर निर्धारण अधिकारी के पदों पर वर्तमान में वेतनमान रू0 6500-10500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर रू0 8000-13500 के वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 अनुमन्य कराया जायेगा।

4- प्रत्येक नगर निगम के लिये एक मुख्य कर निर्धारण अधिकारी वेतनमान रू0 10000-15200 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड 3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600 में रखा जायेगा।

5- प्रत्येक नगर पालिका परिषद श्रेणी-1 के लिए एक कर निर्धारण अधिकारी वेतनमान रू0 8000-13500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 में रखा जायेगा।

6- उपर्युक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप राजस्व सेवा के पदों का संवर्गीय ढाँचा, पदनाम, वेतनमान व निकायवार पदों की संख्या निम्नानुसार हो जायेगी :-

क्र. सं	स्थानीय निकाय का नाम	निकायों की संख्या	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी (वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600) के पदों की संख्या	कर निर्धारण अधिकारी (वेतन बैण्ड-3 रू0 15600- 39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400) के पदों की संख्या	अधीक्षक (वेतन बैण्ड-2 रू0 9300- 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200) के पदों की संख्या	राजस्व निरीक्षक (वेतन बैण्ड 1 रू0 5200 20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800) के पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर निगम	12	12	24	72	272
2	नगर पालिका परिषद श्रेणी-1.	39	-	39	39	156
3	नगर पालिका परिषद श्रेणी-2	38	-	-	38	38
4	नगर पालिका परिषद श्रेणी-3	30	-	-	30	30
	योग	119	12	63	179	496

7- उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता तथा भर्ती की प्रकिया निम्नानुसार रखी जायेगी :-

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान रू0	भर्ती का स्रोत	भर्ती हेतु अर्हता
1	2	3	4	5
1	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी	वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600	कर निर्धारण अधिकारी के पदों से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	
2	कर निर्धारण अधिकारी	वेतन बैण्ड-3 रू0 15600- 39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400	50 प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा शेष 50 प्रतिशत अधीक्षक पदों से पदोन्नति द्वारा।	55 प्रतिशत भरे जाने वाले कामर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि।
3	अधीक्षक	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300- 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	राजस्व निरीक्षक के पदों से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	
4	राजस्व निरीक्षक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200- 20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800	सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से।	कामर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि।

8- उपर्युक्त पुनर्गठन में रू. 4000-6000 के वेतनमान के सहायक कर अधीक्षक, नगर पालिका श्रेणी-1 तथा कर अधीक्षक नगर पालिका श्रेणी-2 के पदों का संविलियन रू0 4500-7000 (वेतन बैण्ड-1 रू0 5200- 20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800) एवं रू0 6500-10500 (वेतन बैण्ड-2 रू0 9300- 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200) के दो भिन्न वेतनमान के पदों में हो रहा है। उक्त वेतनमान के पदधारकों की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची होने की स्थिति में रू0 6500-10500 (वेतन बैण्ड-2 रू0 9300- 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200) के पदों के साथ इस स्तर हेतु निर्धारित पदों की सीमा के अधीन संविलियन सम्मिलित ज्येष्ठता सूची के वरिष्ठतम पदधारकों द्वारा धारित पदों का किया जायेगा। शेष पदों का निर्धारित सीमा के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक वेतनमान रू0 4500-7000 (वेतन बैण्ड-1 रू. 5200- 20200 एवं ग्रेड वेतन रू. 2800) के पदों में संविलियन किया जायेगा।

9- उपरोक्त संवर्गीय पुनर्गठन एवं संशोधित/उच्चीकृत वेतनमानों का लाभ सम्बन्धित पदधारकों को तत्काल प्रभाव (शासनादेश निर्गत होने की तिथि से) से अनुमन्य कराया जायेगा।

10- उपरोक्तानुसार पुनर्गठित राजस्व सेवा के पदों के कार्य एवं उत्तरदायित्वों के निर्धारण एवं पदों को परस्पर स्थानान्तरणीय रखे जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

11- उपरोक्तानुसार पुनर्गठित संवर्गीय ढाचें के पदों के लिये भर्ती के स्रोत, भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता, भर्ती की प्रकिया आदि का समावेश करते हुए संशोधित सेवा नियमावली का प्रख्यापन यथाशीघ्र कराया जायेगा।

12- नगरीय स्थानीय निकायों की आय में अभिवृद्धि हेतु एवं राजस्व सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिये वेतन समिति (2008) द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

2- उक्तानुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतनमानों के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-59(एम)/2008, दिनांक-24 दिसम्बर, 2009 की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप अस्तित्व में आये नये पदों के सृजन हेतु आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे.आ.-2-370/10, दिनांक-21.4.10 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

(Main G.O.)

संख्या-1258(1)/नौ-4-10 तद दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4- समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
5- निदेशक,स्थानीय निधि लेखा इलाहाबाद, उ0प्र0।
6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(ध्रुव कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।